provisions of the Scheme and the guidelines issued thereunder. The Scheme has already been liberalised to a great extent and there is no proposal at present to make further liberalisation.

महरौली में पुरातत्व विभाग की जमीन का खाली कराया जाना

6228. श्री सत्य प्रकाश मालवीय:
श्री अनन्त राम जायसवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरातत्व विभाग ने गत वर्ष ऐतिहासिक स्मारक कुतुबमीनार क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर भू-माफियाओं द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर चहारदीवारी बनाने के संबंध में महरौली थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी;

(ख) यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट कब और किस महीने में दर्ज करायी गयी थी और क्या सरकार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के समय से लेकर अब तक पुरातत्व विभाग की जमीन को खाली कराने के लिए कोई कार्यवाही की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार पुरातत्व विभाग की जमीन को खाली कराने तथा पुलिस प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई न किये जाने के लिए क्या त्वरित अथवा प्रभावी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है/अथवा विचार करना चाहेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम०सईद): (क) से (घ) भारत के पुरातत्व विभाग से यह सूचना प्राप्त होने पर कि कुछ लोग कुतुब पुरातत्व क्षेत्र के नजदीक भूमि के एक सरकारी टुकड़े के ईर्द-गिर्द चार-दिवारी का निर्माण कर रहे हैं, थाना महरौली में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थान और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 30, 19(1) और भा०दं०सं० की धारा 447 के अंतर्गत 20.9.94 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 288/94 दर्ज की गयी। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उपर्युक्त न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए इस मामले को अभियोजन शाखा के हवाले कर दिया गया है। भू-खंड पर किए गए अवैध अतिक्रमण को पुलिस द्वारा 6.4.95 को हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 100 के अंतर्गत आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा चेतवानी दी गयी।

Pension to Freedom Fighters

6229. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many applications in Punjab are pending for sanction of freedom fighter's pension;

(b) whether Government would issue orders for early disposal of the aforesaid applications; and

(c) if so, by when and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (c) All the applications received within the prescribed time limit, i.e. 31st March, 1982 from Punjab have been considered and decision communicated to the applicants at least once. however, many review petitions and some delayed cases continue to be received. These are being considered and disposed on merits. This is an on-going process.

Video Film of the Department of Official Language

6230. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) whether the Video Film "Nai subhaha ki ore" has been produced by the Department of Official Language through the DAVP;

(b) if so, to what use is the Video cassette being put to;

(c) whether one Video cassettee each would be given to Members of Parliament;

(d) whether the cassette is for sale and if so, what is its price; and